जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 04-07-2021

आज दिनांक 04.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

बहला फुसला कर भगा ले जाने के मामले में वाँछित बालअपचारी को किया गया गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री अंशुमान मिश्रा** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना महुली पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 123/21 धारा 363/366 भा0द0वि0 व 16/17 पाक्सो एक्ट मे वांछित बालअपचारी नाम पता प्रिंस उर्फ विक्रम पुत्र दिलीप निवासी भरसी थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त बालअपचारी द्वारा दिनांक 12.04.2021 को वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादी द्वारा दिनांक 16.04.2021 को थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए आज दिनांक 04.07.2021 को थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त आरोपी बालअपचारी को गिरफ्तार किया गया तथा पूर्व में अपहृता को दिनांक 29.06.2021 को बरामद किया गया था।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह, हे0का0 रामप्रताप ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 1490 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त</u> – पीआरवी <u>1490</u> को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत छपरा मगर्वी से इवेन्ट संख्या 0063 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 06 मिनट में पहुँचकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को जिला अस्पताल भेजवाया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट / विवाद को शान्त करा कर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी। **पीआरवी स्टाफ** – मु0आ0 सुदामा प्रसाद, म0आ0 अंशु यादव, म0आ0 मीनू राजभर, हो0चा0 सोमनाथ यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 110 वाहनो से 104000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 110 वाहनो से 104000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।